

परिशिष्ट-2

उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री
.....निवासी ग्रामतहसील.....नगर.....
जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम 1994
(यथासंशोधित) की अनुसूची दो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया
है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके
माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं
है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के.....ग्राम तहसील.....नगर..... जिला.....
..... में सामान्यता रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

मुहर

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद का नाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार